

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश ।
संख्या-डीजी-1- पीएआर-6-93/2016 दिनांक: दिसम्बर 15, 2017
सेवा में,

- 1-समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०।
- 2-समस्त पुलिस महानिरीक्षक, उ०प्र०।
- 3-समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक, उ०प्र०।
- 4-समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/ सेनानायक, पी०ए०सी०
- 5-समस्त सहायक पुलिस अधीक्षक, उ०प्र०।

विषय:- आई०पी०एस० अधिकारियों की पी०ए०आर० (कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट) पूर्ण कराने के सम्बन्ध में।

कृपया इस मुख्यालय के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 19.10.2016 में अंकित निर्देशासार Smart Performance Appraisal Report Recording Online Window (SPARROW) system में आई०पी०एस० अधिकारियों की पी०ए०आर० जनरेट किये जाने हेतु अधिकारियों को पीएआर का सेक्शन-1 भरकर आईजी कार्मिक की मेल आईडी igkarmik-up@nic.in पर प्रेषित करना चाहिये परन्तु अधिकारियों द्वारा अपनी पी०ए०आर० के सेक्शन-1 को नही भेजा जा रहा है जिससे पी०ए०आर० के जनरेट करने में त्रुटियाँ होने की सम्भावना बनी रहती है। अतः पी०ए०आर० के सेक्शन-1 को समय से भरकर प्रेषित करने का कष्ट करें।

2- उपरोक्त के अतिरिक्त आई०पी०एस० अधिकारियों के अनुपलब्ध दर्शाये जा रहे नान इनीसियेशन सार्टीफिकेट (एन०आर०सी०) निर्गत किये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा इस मुख्यालय को संदर्भित किया जाता है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि इस मुख्यालय स्तर से अधिकारियों की प्रतीक्षारत अवधि, मुख्यालय में सम्बद्धता अवधि, स्थानान्तरण पर यात्रा/कार्यभार ग्रहण काल, प्रतिनियुक्ति से वापस आने पर अवकाश/कार्यभार ग्रहण हेतु यात्रा/कार्यभार ग्रहण अवधि से सम्बन्धित नान इनीसियेशन सार्टीफिकेट निर्गत किये जा सकते हैं।

3- 90 दिनों से कम तैनाती अवधि अथवा प्रतिवेदक/समीक्षक अधिकारी द्वारा 90 दिवस की अवधि तक कार्य न देखे जाने से सम्बन्धित नान इनीसियेशन सार्टीफिकेट पर्यवेक्षणीय कार्यालय अथवा सम्बन्धित अधिकारी द्वारा निर्गत किये जाते हैं।

4- अतः अनुरोध है कि नान इनीसियेशन सार्टीफिकेट निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

See 15/12/17
(पदमजा चौहान)
पुलिस महानिरीक्षक, कार्मिक
उ०प्र०, लखनऊ।

प्रतिलिपि:

- 1-प्रतिलिपि समस्त पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० को सादर सूचनार्थ ।